

रीख
क्रम

न्यायालय उपखंड अधिकारी
पद्म सहायक क्लर्क या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
करेड़ा (नीलवाड़ा)

2017/17

51.43

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

25.06.2018

पञ्जाब लोक अदालत श्रीविर उमिगान
के अन्तर्गत मुकाम वि० जाटान पर पेश
हुई।

प्रकरण का अन्तर्गत विभाग या
पार्थना पत्र पार्थ U/S 212 R.T.A. विरुद्ध
विपक्षी प्रस्तुत होकर न्यायालय के
अभिमत में अपूरणीय क्षति एवं सुविधा
से लुप्त पार्थ के पक्ष में होना उचित
होता है।

अतः पार्थना पत्र पार्थ विरुद्ध पार्थ
विरुद्ध विपक्षीगत स्वीकार किए जाने
के आदेश उदान किए जाते हैं।

: आदेश :

श्रीविर वि० जाटान नदरीत करडा
स्थित खतोनी संख्या 303 मिला 10 कुल
रकबा 8.14 बीघा मुलाविक जमाकेही
संवत् 2051-54 की रेकर्ड की यथास्थिति
कायम स्वीकार हेतु आदेश उदान किए
जाते हैं। इस आदेश से दोनो पक्ष को ध्या
कारी होकर मुलावाद के विस्तारण तक
प्रभाव में रहेगा।

पञ्जाब लोक अदालत श्रीविर नदरीत
के न की जाकर मुलाविक के साथ संलग्न
विधि काज दिनांक 25.06.2018 को
सरे इजलास सुनाया जागा।

उपखंड अधिकारी पद्म
सहायक क्लर्क करेड़ा